उपायुक्त का न्यायालय

पी0 डी0 एस0 अनुज्ञप्ति रद्ध वाद सं0–06/2015

हाजरा खातून–बनाम–राज्य

अभिलेख उस्थापित। यह वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया के ज्ञापांक–440 दिनांक–21.10.2013 द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रथम पक्ष हाजरा खातून पति–मो0 ताहिर अंसारी के अपील पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। वाद का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार हैः– ग्राम–नावाडीह प्रखण्ड–सरिया के अन्तर्गत दिनांक–02.09.2008 को जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनुज्ञप्ति सं0–13/2010 15 पन्द्रह सदस्यीय महिला समूह को जारी किया गया। उल्लेखनिय है कि उक्त महिला सामूहिक जनवितरण प्रणली,नावाडीह का अध्यक्ष मसो0 पूनम पति–स्व0 नरेश गिरि एवं सचिव हाजरा खातुन पति–ताहिर अंसारी है। प्रखण्ड अपूर्ति पदाधिकारी सरिया एवं संबंधित पंचात के पंचायत सेवक के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया ने उक्त समूह के जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति रद्ध कर दिया। अनुज्ञप्ति रद्ध होन के उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। उक्त के संबंध में प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का निम्न अभिकथन हैः–

1. यह कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया है कि समूह के कतिपय सदस्यों का नाम बी0पी0 एल0 में दर्ज नही है। परन्तु अनुज्ञप्ति निर्गत करने के समय इस बात का जिक्र नहीं किया गया।
2. यह कि माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया ने अनुज्ञप्ति रद्ध करने के पूर्व उक्त समूह के सदस्यों को अपन पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया।
3. यह कि प्रश्नगत महिला सामूहिक जनवितरण प्रणली,नावाडीह के सभी सदस्यों में अधिक संख्या में सदस्य बी0 पी0 एल0 धारी सदस्य है।
4. यह कि किसी भी अनुज्ञप्ति को उसी परिस्थिति में रद्ध किया जा सकता है जब Control Order में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंधन किया गया हो अथवा अनुज्ञप्ति के निर्धारित शर्तो का उल्लंधन हुआ हो।

प्रथम प्रक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्क, सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील एवं सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:-

1. यह कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरिया एवं पंचायत सेवक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि महिला सामूहिक जनवितरण प्रणाली,नावाडीह का 15 सदस्यों में से मात्र आठ सदस्यों का ही बी0 पी0 एल0 सूची में नाम दर्ज है। विभागीय संकल्प सं0-1580 दिनांक-06.08.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी जनवितरण प्रणाली समूह का कतिपय सदस्यों का नाम बी0पी0 एल0 सूची में दर्ज नही होने की स्थिति में समूह का गठन अपूर्ण रहता है। इस परिस्थिति में अनुज्ञप्ति निर्गत करना नियमों के विरूद्ध है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पंचायत सेवक के दिनांक-14.07.2014 जाँच प्रतिवेदन में पाया गया है कि उक्त महिला सामूहिक जन वितरण प्रणाली, नावाडीह का अध्यक्ष मसो0 पूनम पति-स्व0 नरेश गिरि का नाम बी0 पी0 एल सूचीमें दर्ज नही है। ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया द्वारा उक्त जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति को रद्ध करने संबंधी आदेश न्यायोचित प्रतित होता है।
2. अभिलेखबद्ध पंचायत सेवक, नावाडीह पंचायत एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संबंधित जन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जनवितरण प्रणाली के तहत सामाग्री के उठाव के पश्चात सामाग्री का वितरण ग्रामीणों के बीच नही किया जाता है एवं ग्रामीणों के द्वारा लिखित व्यान देकर उक्त जन वितरण प्रणाली के सचिव हाजरा खातून के पति मो0 ताहिर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगया गया है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त आरोप के संदर्भ में उक्त जन वितरण प्रणाली के अध्यक्ष एवं सचिव से स्पष्ठीकरण की मांग की गई परन्तु संबंधित अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति न तो प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया न ही अभिलेख के साथ संलग्न है।
3. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निम्न आरोप है-

(क) नावाडीह S.H.G समूह के सचिव हाजरा खातून द्वारा समूहिक हित के इतर व्यक्तिगत हित के लिए जन वितरण प्रमाणी का संचालन कर रहें है।

(ख) सचिव हजारा खातून अपने पति मो0 ताहीर अंसारी के माध्यम से नावाडीह S.H.G समूह का संचालन किया करते है जो नियमों का उल्लंघन है।

उक्त आरोप के संदर्भ में प्रथम पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ,बगोदर सरिया द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए महिला सामूहिक जनवितरण प्रणाली,नावाडीह के पक्ष में दिनांक-02.09.2008 को जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनुज्ञप्ति सं0-13/2010 को रद्ध करने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति को संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराते हुए मूल अभिलेख निम्न न्यायालय को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

15/08/17

उपायुक्त

-सह-

जिला दण्डाधिकारी,गिरिडीह

15/08/17

उपायुक्त

-सह-

जिला दण्डाधिकारी,गिरिडीह